राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प0 28(17)उद्योग/1/2021 जयपुर, दिनांकः 10 AUG 2021

अधिसूचना

भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा) के क्षेत्राधिकार में राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2015 के तहत आने वाले सभी अपार्टमेंटस/भवनों के प्रयोजन हेतू अधिनियम की धारा 24 के अनुसरण में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण को सक्षम प्राधिकारी तथा अधिनियम की धारा 26 के अनुसरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण को अपीलीय प्राधिकारी एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से नियुक्त किया जाता है ।

उक्त आदेश हेतू नगरीय विकास विभाग की सहमति तथा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(लोकेश कुमार मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक , मुद्रण एवं लेखन सामग्री , राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने के लिये अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को निर्देशित करने का श्रम करें तथा मूल पाँच प्रतियो में उपलब्ध कराने का श्रम करें।
2. निजी सचिव, माननीय उद्योग मंत्री एवं अध्यक्ष, भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर विभाग, उद्योग भवन, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर) नियोजन भवन, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, अलवर।
8. पुलिस अधीक्षक, भिवाडी।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा भिवाडी को आवश्यक कार्यवाही तथा वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
10. अनुभाग अधिकारी, उद्योग (ग्रुप–1) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि राजपत्र में प्रकाशन सुनिश्चित करावें तथा उद्योग विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतू आवश्यक कार्यवाही करावें ।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव